कार्यालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

क्रमांक– 116

दिनांक 25/02/2025

रास्ता स्वीकृति आदेश

प्रार्थी राजकुमार हिसारिया ने प्रार्थना पत्र पेश कर चक नम्बर 17 एचएमएच में प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पूर्व में दर्ज आराजी पत्थर नम्बर 131/267 (10) के किला नम्बर 5/2/0.019 हैक्टेयर तथा पत्थर नम्बर 132/267 (9) के किला नम्बर 1, 2, 3, 4/0.253 हैक्टेयर आराजी प्रत्येक बीघा रिकार्ड थी तथा पत्थर नम्बर 131/267 (10) के किला नम्बर 5/2/0.019 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर 132/267 (9) के किला नम्बर 1 2, 3, 4 प्रत्येक बीघे में 0.077 हैक्टेयर आराजी को गैर मुमकिन रास्ते हेतु सशर्त बिना किसी मुआवजा के समर्पण किया गया था, जिसे तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ द्वारा जरिये क्रमांक टीआरए/समर्पण/20/3861 दिनांक 18.09.2020 को स्वीकार किया गया तथा सशर्त बतौर रास्ता समर्पण की गई आराजी को गैर मुमकिन रास्ता दर्ज नहीं कर आराजीराज के रूप में दर्ज किया गया जबकि प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार के सदस्यो द्वारा उक्त आराजी बतौर सार्वजनिक रास्ता सशर्त समर्पण की गई थी। पत्थर नम्बर 132/267 (9) के किला नम्बर 5 में वर्तमान में नगरपरिषद द्वारा निर्मित सार्वजनिक टैक्सी स्टैण्ड है जिसे हेतु भी उक्त रास्ता ही एकमात्र रास्ता है इसलिए आधरा पर चक 17 एचएमएच के पत्थर नम्बर 131/267 (10) के किला नम्बर 5/2/0.019 हेक्टेयर, पत्थर नम्बर 132/267 (9) के किला नम्बर 1, 2, 3, 4/.077 हैक्टेयर प्रत्येक बीघा में उतरी ओर 50 फुट चौडा गैर मुमकिन रास्ता दर्ज राजस्व रिकार्ड दर्ज करवाने का निवेदन किया गया।

प्रकरण में तहसीलदार हनुमानगढ से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसील पत्रांक राजस्व/2025/25 दिनांक 31.01.2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि चक नम्बर 17 एचएमएच के पत्थर नम्बर 131/267 (10) के किला नम्बर 5/2/0.019, पत्थर नम्बर 132/267 (9) के किला नम्बर 1, 2, 3, 4/0.077 हैक्टेयर भूमि इस कार्यालय द्वारा 18.09.2020 को आवासीय कॉलोनी में जाने हेतु अपनी इच्छा से निशुल्क राज्य सरकार के पक्ष में समर्पण की गई थी।

तहसीलदार के मौका निरीक्षण दिनांक 30.1.2025 अनुसार वर्तमान में उक्त रकबा चक नम्बर 17 एचएमएच के पत्थर नम्बर 131/267 (10) के किला नम्बर 5/2/0.019 जो कि वर्तमान जमाबंदी में प.न. 131/267 मु.न. 10 कि.न. 5/3/.019 दर्ज व पत्थर नम्बर 132/267 (9) के किला नम्बर 1/1, 2/1, 3/1, 4/1 प्रत्येक 0.077 हैक्टेयर मुताबिक जमाबंदी आराजीराज नहरी भूमि दर्ज है तथा मौके पर खड़वजा सड़क बनी हुई है तथा यह रकबा आवागमन में काम लिया जा रहा है। प.न. 132/267 मु.न. 9 का कि.न. 5 में वर्तमान में नगर परिषद द्वारा निर्मित सार्वजनिक टैक्सी स्टैण्ड बना हुआ है जिसके लिए भी उक्त एक ही रास्ता है जो कि मौका पर चालू है। उक्त रकबा को प्रार्थी की मांग अनुसार रिकार्ड में गै.मु. रास्ता दर्ज किये जाने की अनुशंषा की गई है।

राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक:– प.3 (17) राज/6/2021 पार्ट/91 दिनांक 30.09.2021 के बिंदु सं. 3 के अनुसार "जहां पर रास्ता राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं है तथा मौके पर रास्ता स्थाई रूप से चल रहा है वहां पर राजकीय भूमि (सिवाय

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2025.04.15 13:07:08 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

29

चक/गै.मु. भूमि) में से गुजर रहे रास्ते को स्थाई किया जाकर गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावे। सिवाय चक गैर मुमकिन भूमि को रास्ता दर्ज करने हेतु प्रकरण जिला कलक्टर को प्रेषित कर उनसे आदेश प्राप्त कर रिकार्ड में आवश्यक संसोधन किया जावे, तथा ऐसे रास्तों को अलग से दूसरा नंबर दिया जाकर नक्शे में दर्शाया जावे "

उक्त परिपत्र की पालना में प्रकरण श्रीमान जिला कलक्टर महोदय हनुमानगढ को अनुमति हेतु प्रेषित कर आराजीराज भूमि में रास्ता स्वीकृति हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 051 दिनांक 31.01.2025 द्वारा पूर्वानुमति प्रदान करवाये जाने का निवेदन किया गया। श्रीमान जिला कलक्टर महोदय हनुमानगढ के पत्रांक एफ12 (3) (52)/राज/2006 राजकाज 13624890 दिनांक 19.02.2025 द्वारा प्रश्नगत आराजीराज भूमि में प्रस्तावित रास्ता हेतु समर्पित भूमि को गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत किए जाने की अनुमति प्रदान की गई है।

अतः श्रीमान जिला कलक्टर महोदय के उक्त पत्रांक द्वारा प्राप्त पूर्वानुमति से, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व तहसीलदार हनुमानगढ द्वारा प्रेषित मौका प्रस्ताव व परिपत्र दिनांक 30.09.2021 की पालना में प्रश्नगत चक 17 एचएमएच के पत्थर नम्बर 131/267 (10) के किला नम्बर 5/3/0.019 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर 132/267 (9) के किला नम्बर 1/1, 2/1, 3/1, 4/1/0.077 हैक्टेयर प्रत्येक बीघा में उतरी ओर वर्तमान में चालू 50 फुट चौडा रास्ता स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार हनुमानगढ को निर्देशित किया जाता है कि यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदि नहीं हो तो उक्त स्वीकृतशुदा रास्ते को बतौर गै.मु. रास्ता दर्ज राजस्व रिकार्ड किया जावे। इसी अनुसार आदेश की पालना करवाई जाकर की गई पालना से इस कार्यालय को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

नोटः— आदेश सक्षम स्तर से अनुमत है।

(मांगी लाल) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ

क्रमांक— दिनाक 25/02/2025

प्रतिलिपिः 117-20

1 श्रीमान जिला कलक्टर महोदय हनुमानगढ को सूचनार्थ सादर प्रेषित है।
2 तहसीलदार हनुमानगढ को पालनार्थ प्रेषित है।
3 प्रार्थी श्री राजकुमार हिसारिया पुत्र बनवारी लाल निवासी हनुमानगढ जंक्शन को सूचनार्थ प्रेषित है।
4 रक्षित पत्रावली।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2025.04.15 13:07:08 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ